

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील निर्वाचन सं० 35 / 2020

1. नीना पत्नी दिनेश
2. शुभम पुत्र दिनेश चंद
3. कनक पुत्र दिनेश चंद
4. दिनेश पुत्र पोथीप्रसाद

जातियान वैश्य, निवासीयान – अग्रवाल कॉलोनी द्वितीय, वार्ड संख्या 23 वेयर हाउस रोड कस्बा बयाना जिला भरतपुर (राज०)

..... अपीलान्टस

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम) बयाना

..... रेस्पोंडेन्ट

अपील खिलाफ आदेश दिनांक.....
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम)
बयाना

निर्णय

दिनांक : 27.11.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरुद्ध आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना जिला भरतपुर दिनांक के पेश की है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट्स वार्ड नं० 23 अग्रवाल कॉलोनी द्वितीय वेयर हाउस रोड कस्बा बयाना में निवास करते हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना ने अपीलान्ट्स के नाम गलत रूप से वार्ड नं० 27 की मतदाता सूची में जोड़ दिए हैं। अपीलान्ट ने वार्ड संख्या 27 से वार्ड सं० 23 में नाम शिफ्ट करने के आवेदन एस०डी०एम० बयाना के समक्ष पेश किये गए थे, किन्तु उन्होंने बिना किसी कारण के निरस्त कर दिया है। अपीलान्ट्स ने अपनी अपील में उनके नाम वार्ड सं० 27 से वार्ड सं० 23 कस्बा बयाना की मतदाता सूची में शिफ्ट किये जाने की प्रार्थना की है।



अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना से तहत पत्रावली व टिप्पणी तलव की गई, टिप्पणी संलग्न मिसिल है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) बयाना ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि अपीलान्ट्स के द्वारा उनकी अपील में वर्णित तथ्यों से सम्बन्धित कोई भी आवेदन उनके कार्यालय में प्रस्तुत ही नहीं किया गया है, अपीलान्ट्स द्वारा लगाये गए आरोप मनगढन्त व कपोल कल्पित हैं।

पत्रावलियों का अवलोकन किया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना से प्राप्त टिप्पणी/जबाव पर गौर किया। अपीलान्ट्स द्वारा वार्ड संख्या 27 कस्बा बयाना से वार्ड संख्या 23 में अपने नाम जुड़वाने हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना के यहां प्रस्तुत किये गए आवेदनों की कोई भी प्रमाणित प्रति अपनी अपील के साथ संलग्न नहीं की गई है। अपीलान्ट्स निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना के किस आदेश के विरुद्ध अपील लेकर आए हैं, का भी कोई उल्लेख उनकी अपील में वर्णित नहीं है, और न उक्त आदेश की कोई प्रमाणित प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत ही नहीं किया है। अपील केवल किसी तहत न्यायालय के आदेश के विरुद्ध ही प्रस्तुत की जा सकती है। अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 27.11.2020 को लिखा जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर